तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नाम अहकाम/हुक्म की तारीख
23/5/23	बकुलाल 34) नकल प्रार्थना पत्र बकुलाल की सुनी गई। वकील वादी ने बताया कि प्रार्थना पत्र में अंकित आरोपी वादी एवं गैर का की लेकर मकान एवं खरीदारी की है विवादित आराजी का कारण बेदखल नहीं है सरकार है। गैर का वादी के मकान की आराजी के दरख्वास्ती कर रहे हैं। विवादित आराजी आपसी रंजिश में नहीं है। वादी के मकान के किसी तरह से गैर एवं उनके नौकर जबरन किसी तरह से हस्तक्षेप दरख्वास्ती नहीं करने हेतु परिवार अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का आदेश करावें। वकील गैर का ने कथित किया कि गैर का उक्त आराजी पर किसी तरह से मकान नहीं है। गैर का कुछ दिनों की भूमि पर राशि से मकान बना रहे हैं। वादी के गैर का के मकान के दरख्वास्ती नहीं करने हेतु पाबन्द किया जावे। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। पक्षकारान का अवलोकन किया गया। नकल बकुलाल का गौर से पठन किया गया। वस्तुतः रालाब अभिलेख से वादी एवं गैर का अपने अपने दावे के आधार कायम है। उक्त आराजी का कारण बेदखल नहीं होकर है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि प्रतिवादी गोपाल धनेरिया परिवार एवं केन्द्रित के लिए भूमि भूमि स्थल 34) रकबा 31-08 बीघा किस्त आराजी दोनों के इस वाद के निर्णय तक उक्त पक्षकारान एक दूसरे के मकान के दरख्वास्ती नहीं करने हेतु परिवार अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पत्रावली केवल शुमार बोर्ड नम्बर से मय है। वाद वकील पक्षकार इस वाद के साथ नहीं है। 500	